

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
क्रमांक : आं.बा.चयन/A-5(1)-00002 दिनांक : 16.08.2024

श्रीमान निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
जयपुर।

विषय : समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु इस कार्यालय का राजकाज क्रमांक 9830242 दिनांक 16.08.2024 से जारी विज्ञप्ति संलग्न कर प्रकाशनार्थ भेजी जा रही है।

चूंकि यह विज्ञप्ति जयपुर जिले की समस्त शहरी परियोजनाओं के आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित है। अतः कृपया उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे सर्वाधिक संख्या में प्रकाशित होने वाले किसी एक मुख्य समाचार पत्र में केवल जयपुर जिले के संस्करण में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(महेश शर्मा)
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर।

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राज., जयपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी), समेकित बाल विकास सेवायें, राज., जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

(महेश शर्मा)
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर।

RajKaj Ref
9836228



Signature valid

Digitally signed by Mahesh Sharma
Designation: Deputy Director
Date: 2024.08.16 16:10:41 IST

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर

क्रमांक : आं.बा.चयन/A-5(I)-00002

दिनांक : 16.08.2024

विज्ञप्ति

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक पं.11(3)10/मो. आईसीडीएस/2022/4244 दिनांक 12.01.2023 एवं पं.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/57871-58286 दिनांक 01.03.2024 की अनुपालना में निम्नांकित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के अधीन ग्राम पंचायत/वाडों में आगनबाडी कार्यकर्ता/ शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | कार्यकर्ता | शिशुपालना गृह कार्यकर्ता | सहायिका | कुल | ई मेल आई डी |
|----------|-----------------|------------|--------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| 1 | जयपुर प्रथम | 1 | 0 | 7 | 8 | jaipuredpo1@gmail.com |
| 2 | जयपुर द्वितीय | 4 | 0 | 9 | 13 | cdpojaipur2@gmail.com |
| 3 | जयपुर तृतीय | 4 | 0 | 8 | 12 | cdpojaipurcity3.2017@gmail.com |
| 4 | सांगानेर शहर | 2 | 0 | 2 | 4 | cdposngcity@gmail.com |
| कुल | | 11 | 0 | 26 | 37 | |

नोट:- रिक्त पदों की आगनबाडी केन्द्रवार आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी / शर्तें ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आगनबाडी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर सम्बन्धित सीडीपीओ कार्यालयों में आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक 18.09.2024 को सांय 05.00 बजे तक है। आवेदन फार्म सीडीपीओ कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से भी प्राप्त कर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जायेंगे।

(महेश शर्मा)

उपनिदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर।

RajKaj Ref
9830242



Signature valid

Digitally signed by Mahesh Sharma
Designation: Deputy Director
Date: 2024.08.16 17:42:00 IST

6. आवेदन फार्म सीडीपीओ कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से भी प्राप्त किये जा सकते है तथा सीडीपीओ कार्यालय के फोन/मोबाईल नम्बर भी विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते है।
7. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्तिशः परियोजना कार्यालय में अथवा ई मेल के जरिये दिनांक 18.09.2024 तक सायः 05.00 बजे तक जमा करवा सकेगें।
8. जिन केन्द्रों/ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसी वर्ग की महिला का अनिवार्यतः चयन किया जावेगा। आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र संकलित किया जाना अत्यावश्य होगा।
9. पिछडा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धी तथ्य को 3 वर्ष के लिये विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जावेगी।(क्रिमी लेयर में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा) विधवा व तलाकशुदा, परितक्यता महिला महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिये यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- 10.मानदेय सेवा पर चयन की कार्यवाही विभागीय चयन परिपत्र क्रमांक पं.11(3)10/मो.आईसीडीएस/2022/4244 दिनांक 12.01.2023 एवं प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/57871-58286 दिनांक 01.03.2024 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार सम्पादित की जायेगी।
- 11.न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरणों में मानदेय कार्मिकों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय आदेश के अध्ययीन होगा।

(महेश शर्मा)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ राज0 जयपुर को सूचनार्थ।
2. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर समेकित बाल विकास सेवाएँ राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु सादर प्रेषित है।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला जयपुर।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त नगर निगम जयपुर।
6. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जिला जयपुर।
7. समस्त विकास अधिकारी जिला जयपुर।
8. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि रिक्त पदों की केन्द्र वाइज सूचना को कार्यालय सूचना पट्ट पर चरपा करें।

(महेश शर्मा)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
जयपुर

RajKaj Ref
9830242

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Sharma
Designation: Deputy Director
Date: 2024.08.16 17:42:00 IST
Reason: Approved